ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

पत्रांकः ब०आ०स०–78/25 दिनांक 03/07/2025

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय,

ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

विषयः– चार वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य (प्रतिष्ठा) सत्र 2025–29 (सी0बी0सी0एस0) में नामांकन हेतु प्रकाशित प्रथम चयन सूची से नामांकन संबंधित दिशा–निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि चार वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य (प्रतिष्ठा) सत्र– 2025–29 सी0बी0सी0एस0 के तहत नामांकन हेतु चयन सूची विश्वविद्यालय के बेवसाईट www.lnmu.ac.in पर जारी कर दी गयी है। अभ्यर्थियों का नामांकन हेतु चयन उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये महाविद्यालय–वरीयता, अन्तर–स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेधा अंक एवं राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार किया गया है। प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि चयन सूची के आधार पर ***दिनांक– 04.07.2025 से 14.07.2025 तक*** आवंटित विषय में हीं छात्र–छात्राओं का नामांकन लिया जाय। नामांकन में निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैः–

1. अभ्यर्थी अपना चयन–पत्र (Selection letter), आवेदन आई–डी (Application I.D) एवं जन्म तिथि (Date of Birth) या यूजर आई डी (ई–मेल) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा लॉग–इन (login) कर अपना सेलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
2. यह चयन सूची आवेदकों द्वारा आवेदन में भरे गये तथ्यों के आधार पर तैयार की गयी है। अतएव ***प्रधानाचार्य आवेदकों द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये तथ्यों की जाँच कर एवं सभी प्रकार से सही पाये जाने की स्थिति में ही नामांकन सुनिश्चित करेंगे।***
3. आरक्षण कोटि एवं लिंग (Gender) में कोई भी परिवर्तन महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा। यदि छात्र/छात्रा आरक्षरण कोटि के अधीन नामांकन हेतु आवेदन किये हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी के आरक्षण कोटि के प्रमाण–पत्रों की जाँच कर नामांकन लेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये आरक्षण कोटि के आधार पर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन नहीं लेगे तथा ऑनलाईन आवेदन में किसी अभ्यर्थी द्वारा अहर्ता (प्राप्तांक) संबंधी गलत सूचना दी गयी हो तो चयन सूची से नामांकन के उपरान्त भी वैसे अभ्यर्थी का नामांकन महाविद्यालय द्वारा नहीं लिया जाय। यदि नामांकन के उपरान्त भी अभ्यर्थी का आरक्षण कोटि, प्राप्तांक एवं लिंग संबंधी कोई विसंगति उजागर होती है तो, ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन को रद्द करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सूचित करेंगे। एतद् संबंधी Undertaking नामांकन के समय महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से लिया जाय कि कोई विसंगति पाये जाने पर किसी भी समय मेरा नामांकन रद्द किया जा सकता है।

4. कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म (CAF) भरते समय यदि छात्र/छात्राओं द्वारा स्वयं के नाम, माता का नाम/पिता का नाम या जन्म तिथि में कोई Minor Mistake हुआ हो तो उसके सुधार के लिये नामांकन के समय अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त कर प्रधानाचार्य आवश्यक सुधार करेंगे। महाविद्यालय द्वारा उक्त त्रुटि सुधार करते हुए डैस–बोर्ड पर अपडेट किया जायेगा। कोई भी सुधार Matriculation के Marks Sheet या Certificate के आधार पर ही किया जायेगा। इन प्रविष्टियों में पूर्ण परिर्वतन किसी भी हालत में नहीं किया जायेगा।

5. महाविद्यालय स्तर से अभ्यर्थियों का किसी भी परिस्थिति में ***मेजर*** (Major) विषय का परिवर्तन नहीं करेंगे।

6. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत डैस–बोर्ड पर प्रत्येक दिन नामांकित अभ्यर्थी का Admission Update अनिवार्य रूप से करेंगे। Update करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित अभ्यर्थियों की हीं प्रक्रिया की जा रही है। Admission Updation के उपरान्त नामांकित अभ्यर्थी का स्वतः विश्वविद्यालय क्रमांक जारी हो जायेगा जो पंजीयन संख्या एवं विश्वविद्यालय स्तरीय सभी परीक्षा का क्रमांक होगा। इसे अभ्यर्थी को ससमय हस्तगत करा दी जाय।

7. आवेदक यदि ऑनलाईन आवेदन में ऐसे माईनर (Minor) /आई0डी0सी0 (Interdisciplinary) विषय भरे हैं जो आपके महाविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है तो अभ्यर्थी की सहमति से प्रधानाचार्य अपने स्तर से विषय परिवर्तित कर, इसी अनुरूप नामांकन अपडेट करेंगे।

8. विश्वविद्यालय द्वारा Registration Slip जारी होने से पूर्व यदि कोई छात्र अपना नामांकन रद्द कराते हैं तो संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से उस नामांकन को Cancel करते हुए सभी मूल अभिलेख आवेदकों को वापस करेंगे, लेकिन Registration (पंजीयन) होने के बाद यदि कोई छात्र पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो संबंधित प्रधानाचार्य Transfer Certificate निर्गत करते हुये, ऐसे छात्रों की एक समेकित सूची बनाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं परीक्षा नियंत्रक को समर्पित करेंगे ताकि ऐसे छात्र/छात्रा परीक्षा प्रपत्र नहीं भर सके।

9. **किसी भी महाविद्यालय को अलग से नामांकन–फॉर्म वितरण करने की आवश्यकता नहीं है। नामांकन फॉर्म तथा Prospectus आदि के लिये कोई शुल्क अलग से छात्रों से नहीं लेंगे। ध्यातव्य है कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सभी कोटि की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं से नामांकन संबंधी शुल्क नहीं लिया जाता है।**

10. चार वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र– 2025–29 में नामांकित अभ्यर्थी का प्रेरण वर्ग (Induction Programme) आयोजित कर वर्गारंभ दिनांक–15.07.2025 से करेंगे।

11. परीक्षा संबंधी विनयमन के अनुसार छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अतः कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की सूचनायें सभी प्रधानाचार्य ससमय परीक्षा नियंत्रक के दे देंगे।

12. नामांकन के समय निम्नांकित कागजात छात्र/छात्राओं से लिए जाएँ:–
    क) एडमिशन सेलेक्शन लेटर।
    ख) कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (सी0 ए0 एफ0)
    ग) महाविद्यालय/विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
    घ) प्रवेश पत्र की छाया–प्रति। (स्व–अभिप्रमाणित)

ड़) अंक–पत्र की छाया–प्रति। (स्व–अभिप्रमाणित)

च) पासपोर्ट साईज अद्यतन फोटो की दो प्रतियाँ।

छ) जाति प्रमाण–पत्र/आय प्रमाण–पत्र आदि (जिसके लिये लागू हो)। (स्व–अभिप्रमाणित)

ज) आधार कार्ड की छाया–प्रति। (यदि हो) (स्व–अभिप्रमाणित)

झ) प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) की मूल प्रति (जिसके लिये लागू हो)। (नामांकन के समय अनुपलब्धता की स्थिति में ससमय प्राप्त करने का आवेदन)

उपरोक्त वर्णित कागजातों की जाँच करने के उपरान्त ही नामांकन लिया जाय।

13. नामांकित अभ्यर्थी अपने महाविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत क्रमांक अवश्य प्राप्त कर लें। आगे की सभी प्रक्रिया इसी क्रमांक के आधार पर संपादित होगी।

*नोटः– प्रधानाचार्य नामांकित अभ्यर्थियों का डैस–बोर्ड पर दिनांक– 17.07.2025 के 2:00 बजे अपराह्ण तक निश्चित रूप से अपडेट कर लेंगे, जिन अभ्यर्थियों के नामांकन को महाविद्यालय द्वारा **Dash Board** पर ऑनलाईन के माध्यम से अंतिम रूप से **Update** नहीं किया जायेगा तो यह समझा जायेगा कि संबंधित छात्र नामांकन हेतु महाविद्यालयों में उपस्थित नहीं हुए। प्रथम चयन सूची के आधार पर लिये गये नामांकन के उपरान्त कोटिवार बचे हुए रिक्त सीट पर विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय चयन सूची जारी किया जायेगा।*

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।
विश्वासभाजन,

अशोक
03.7.25
अध्यक्ष, छात्र–कल्याण

3/7/25